

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

**समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष**

निगरानी प्रकरण कमांक 3761-पीबीआर/2013 विरुद्ध आदेश दिनांक
23-07-2013 पारित द्वारा न्यायालय कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जिला होशंगाबाद के
प्रकरण कमांक 45/बी-103/2008-09.

.....
अमरीश पटेल आ०श्री मिट्ठूलाल पटेल
निवासी मोहता प्लाट, तिलक वार्ड, पिपरिया,
तहसील पिपरिया जिला होशंगाबाद

..... आवेदक

विरुद्ध

- 1-उप पंजीयक पिपरिया
जिला होशंगाबाद
- 2-रमेश महेश्वरी पुत्र नारायणदास महेश्वरी
- 3-श्री राधामोहन महेश्वरी पुत्र नारायणदास महेश्वरी
निवासीगण लक्ष्मी निवास टाउनशिप डाडेली
जिला कारवार कर्नाटक

..... अनावेदकगण


.....
श्री जी०डी०अग्रवाल, अभिभाषक-आवेदकगण


:: आ दे श ::

(आज दिनांक: 11/5/16 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 56 के अंतर्गत कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जिला होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 23-07-2013 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक एवं अनावेदक कमांक 2 के मध्य 100/- रुपये के मुद्रा पत्र पर दिनांक 22-2-2007 को मुख्तियार नामा निष्पादित किया गया । महालेखाकार ग्वालियर की निरीक्षण टीम द्वारा निरीक्षण






टीप में उक्त दस्तावेज पर आपत्ति प्रस्तुत की गई । तदनुसार उपपंजीयक पिपरिया द्वारा दस्तावेज क्रमांक अ-4/15 दिनांक 22-2-2007 की सत्यप्रतिलिपि अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत परिबद्ध कर कलेक्टर ऑफ स्टाम्प को भेजी गई । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा प्रकरण क्रमांक 45/बी-103/08-09 दर्ज कर दिनांक 23-7-2013 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन संपत्ति का बाजार मूल्य 2,56,000/- रुपये अवधारित करते हुये कमी मुद्रांक शुल्क 20,380/- रुपये व कमी पंजीयन शुल्क 2,068/- रुपये एवं अधिनियम की धारा 40-ख के अन्तर्गत राशि 1,552/- रुपये अर्धदण्ड अधिरोपित करते हुये कुल रुपये 24,000/- जमा कराने के आदेश दिये गये । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :-

- (1) कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा आवेदक को न तो किसी प्रकार का कोई सूचना पत्र जारी किया गया है और न ही सुनवाई का अवसर दिया गया है ।
- (2) कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा इस बिन्दु पर विचार नहीं किया गया है कि दस्तावेज का पंजीयन दिनांक 22-2-2007 को किया गया है और उसकी वैधता दिनांक 22-2-2008 तक है, ऐसी स्थिति में उक्त मुख्तियार नामा पर्याप्त रूप से स्टांम्पित होकर अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत नहीं आता है ।
- (3) विधिवत् रूप से दस्तावेज के पंजीयन के उपरांत केवल ऑडिट आपत्ति के आधार पर उक्त दस्तावेज को परिबद्ध नहीं किया जा सकता है ।
- (4) जिस दिनांक को दस्तावेज पंजीकृत हुआ है, उस दिनांक को छोड़ने के उपरांत ही कालावधि की गणना की जायेगी । इस प्रकार उक्त दस्तावेज केवल एक वर्ष की अवधि के लिये ही निष्पादित किया गया है, उससे अधिक की अवधि मानकर मुद्रांक शुल्क निर्धारित करने में कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है ।





तर्क के समर्थन में 1984 आरएन 161 एवं 2015(1) एएनजे(एससी)325 के न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदक क्रमांक 1 की ओर से लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :-

(1) कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा पक्षकार को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर दिया गया है ।

(2) प्रश्नाधीन मुख्त्यार नामा से आवेदक को भूमि विक्रय करने के अधिकार दिये गये हैं तथा अधिनियम के अंतर्गत किसी भी दस्तावेज पर देय मुद्रांक शुल्क निष्पादन दिनांक से प्रभारणीय होगा, जिसका भुगतान पक्षकारों द्वारा किये जाने का प्रावधान है ।

(3) चूँकि मुख्त्यार नामा एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिये निष्पादित किया गया है, इसलिये निरीक्षण टीम द्वारा ली गई आपत्ति नियमानुसार है और कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा एक वर्ष से अधिक के लिये मुख्त्यारनामा निष्पादित होना मानकर मुद्रांक शुल्क निर्धारित करने में वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है । उनके द्वारा निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।


5/ अनावेदक क्रमांक 2 व 3 प्रकरण में सूचना उपरांत अनुपस्थित रहे हैं, इसलिये उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

6/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायदृष्टांत 2015(1) एएनजे (एससी) 325 रमेश चन्द्र अम्बालाल जोशी बनाम गुजरात राज्य में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस आशय का न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि साधारण खण्ड अधिनियम पहले दिन के अपवर्जन और आखिरी दिन के समावेश का उपबंध करता है । इस प्रकार प्रश्नाधीन मुख्त्यारआम में निष्पादन दिनांक का अपवर्जन करने एवं वर्ष के आखिरी दिन का समावेश करने पर उक्त मुख्त्यारआम एक वर्ष के लिये निष्पादित किया जाना मान्य किया जायेगा । अतः




माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त न्यायिक सिद्धांत के प्रकाश में कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जिला होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 23-07-2013 निरस्त किया जाता है । निगरानी स्वीकार की जाती है ।


(मनोज गोयल)

अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर